

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

आयोजित

सीएबी केस लेखन प्रतियोगिता, 2017-18

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में पुणे में स्थापित कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में एक है। यह प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों को कृषि वित्त, एमएसएमई वित्त, वित्तीय समावेशन और इससे संबन्धित पहलुओं के अलावा शहरी सहकारी बैंकों के अधिकारियों की क्षमतावर्धन के लिए कार्यरत है।

2. अपनी अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के तहत यह महाविद्यालय बैंकों तथा वित्तीय क्षेत्र में काम करने वालों के लिए केस स्टडी/निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। साल 2016-17 में भी ऐसी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस वर्ष भी, कॉलेज ने 'सीएबी केस लेखन प्रतियोगिता - 2017-18' को आयोजित करने का निर्णय लिया है। महाविद्यालय इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत लोगों को निमंत्रित करता है।

केस लेखन प्रतियोगिता के विभिन्न नियम और शर्तें नीचे दिये जा रहे हैं:

क . कौन प्रतिभागी बन सकता है?

1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, सिडबी और नाबार्ड के स्टाफ सदस्य (उनके प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्य भी प्रतिभागी बन सकते हैं)

- II. शहरी सहकारी बैंकों के कर्मचारी (उनके प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्य भी प्रतिभागी बन सकते हैं)
- III. गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के स्टाफ सदस्य

ख. विषय

प्रतिभागी निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय पर केस लिखकर भेज सकते हैं। परंतु, प्रत्येक प्रतिभागी से केवल एक प्रविष्टि स्वीकार की जाएगी। अर्थात्, एक ही प्रतिभागी से अलग-अलग प्रविष्टियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विषय 1	कृषि वित्त
विषय 2	एम.एस.एम.ई. वित्त
विषय 3	वित्तीय समावेशन / वित्तीय साक्षरता
विषय 4	एनपीए प्रबंधन और ऋण वसूली

प्रतिभागियों को उपरोक्त क्षेत्रों में लाये गए मूल सुधार/नवाचारों पर केस लिख कर प्रतियोगिता में भाग लेने की लिए निमंत्रित किया जाता है।

ग. भाषा, संरचना और शब्द सीमा

- I. केवल अंग्रेजी या हिंदी भाषाओं में लिखी केस स्टडीयों को स्वीकार किया जाएगा।
- II. संरचना का रूप एक 'केस' का होना चाहिए; निबंधों और अन्य प्रारूपों में भेजी गयी प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- III. भेजे गये केस के साथ एक ट्रेनर नोट भी जोड़ा जाना चाहिए। ट्रेनर नोट में प्रतिभागी को निम्नलिखित बातें उजागर करनी चाहिए:
 - i. केस के पीछे का उद्देश्य: यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि केस के क्या सीख देने का उद्देश्य है।

ii. शिक्षण योजना: निम्नलिखित मुद्दों को समझाया जाना चाहिए -

- 1) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केस को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसके बारे में लेखक की राय (उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण पानेवाले लोगों के समूह बनाकर केस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करवाना अथवा उन्हें निजी तौर पर केस के अलग-अलग पहलुओं पर टिप्पणी करने को कहना, आदि)
- 2) प्रशिक्षण पानेवाले लोगों के लिए प्रारंभिक प्रश्न; चर्चा/बहस के लिए उठाए जाने वाले मुद्दे
- 3) प्रतिभागियों के लिए अनुशंसित पठन (लेखक यह बताएं कि इस शिक्षा सामाग्री को केस सत्र करने से पहले पढ़ने की आवश्यकता है या कि उसके बाद)

iii. शब्द सीमा 4000 शब्दों की निर्धारित की गई है।

घ. पुरस्कार

प्रविष्टियों के मूल्यांकन के बाद तीन पुरस्कार दिये जाएंगे:

- | | | | |
|------|------------------|---|--------------|
| i. | प्रथम पुरस्कार | - | Rs. 20,000/- |
| ii. | द्वितीय पुरस्कार | - | Rs. 15,000/- |
| iii. | तृतीय पुरस्कार | - | Rs. 10,000/- |

टिप्पणियाँ:

- (i) महाविद्यालय गुणवत्ता के आधार पर और प्राप्त प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर पुरस्कारों की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार अपने पास रखता है
- (ii) उपरोक्त धनराशि के अलावा, जीतने वाली प्रविष्टियों के लेखकों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे

च. मूल्यांकन मानदंड

निम्नलिखित मानदंडों पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जाएगा: केस में दर्शाए समाधान की रचनात्मकता एवं चतुराई, अन्य बैंकों को प्रेरित कर सकने की क्षमता, प्रस्तुति, भाषा, विचारों की स्पष्टता और ट्रेनर नोट ।

छ. प्रस्तुती और समयसीमा

प्रतिभागी निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करें -

- उनके द्वारा लिखी गयी केस की सॉफ्ट कॉपी (पीडीएफ प्रारूप में)
- आवेदन-सह-घोषणा फॉर्म की स्कैन की गई प्रति, जिस पर उनके हस्ताक्षर हों (सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कारवाई जा रही है)
- जिस संगठन में केस-लेखक काम कर रहे हों, उसके द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति

इन्हें ई-मेल द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:

cabcompetitions@rbi.org.in

प्रविष्टियां जमा करने की **अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2018** है। इस तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां मूल्यांकन के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी।

ज. अन्य नियम और शर्तें

- i. केस मूल होना चाहिए और पहले प्रकाशित नहीं हुआ होना चाहिए। प्रतिभागी को आवेदन-सह-घोषणा पत्र की प्रतिलिपि (स्कैन) को केस के साथ जमा करनी होगी, जिसमें यह शर्त स्पष्ट रूप से दी गयी है। यह फॉर्म ध्यानपूर्वक पूरा किया जाना चाहिए - कोई विवरण

नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि केस लेखन एक से अधिक व्यक्तियों ने किया है, तो प्रत्येक लेखक को आवेदन-सह-घोषणा पत्र भर कर जमा करना अनिवार्य है।

- ii. केस में आनेवाले विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, प्रतिभागियों से व्यक्तियों / स्थानों / संस्थानों के फर्जी नामों का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। इस अभ्यास का उद्देश्य सीखने-सिखाने का है। नाम ज़हीर करने से इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी।
- iii. प्रविष्टियां 'ए 4' आकार के पृष्ठ में फॉन्ट 'टाइम्स न्यू रोमन' में आकार 12 अंक (अंग्रेजी) या 'मंगल यूनिकोड' में 11 अंक (हिंदी) में टाइप होना आवश्यक है। पंक्ति अंतर को 1.5 पर रखा जाना चाहिए।
- iv. अन्य स्रोतों से कोई संदर्भ और सामग्रियों को विधिवत स्वीकार किया जाना चाहिए।
- v. जहां प्रतिभागी काम करता है उस शाखा/बैंक/संस्था से एक प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य है - यह प्रमाण पत्र प्रतिभागी की पहचान स्थापित करनेके लिये आवश्यक है। (स्कैन की गई प्रतिलिपि ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है)
- vi. यदि केस एक से अधिक लेखकों ने तैयार किया है और वे अलग-अलग संस्थाओं/शाखाओं में कार्यरत हैं, तो प्रमाण पत्र उनकी अपनी-अपनी संस्था/शाखा से होना चाहिए।
- vii. एक केस को व्यक्तिगत रूप से या दो/तीन व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से भेजा जा सकता है। (संयुक्त प्रविष्टियों के जीतने पर,

पुरस्कार की राशि टीम के सभी सदस्यों में समान रूप से वितरित की जाएगी)

- viii. यह महाविद्यालय अपने पत्रिका "सीएबी कॉलिंग" में केस लेख को प्रकाशित करने का अधिकार रखता है। यही नहीं, महाविद्यालय अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में शिक्षण/चर्चा के लिए भी केस लेखों का उपयोग करने का अधिकार रखता है।
- ix. मूल्यांकन प्रक्रिया को सही तरीके से करने के लिए सहभागियों को अपना नाम केस लेख में नहीं लिखने का आदेश दिया जाता है। वे अपना नाम और संबद्धता केवल 'आवेदन-सह-घोषणा पत्र' में ही लिखें।
- x. मूल्यांकन करने वाले पैनल का निर्णय अंतिम होगा।

झ. अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, निम्नलिखित संकाय सदस्यों से संपर्क किया जा सकता है:

नाम	ईमेल आईडी	फ़ोन नंबर
श्री गौतम प्रकाश	gprakash@rbi.org.in	020 – 2558 2328
श्री एस मुगुंथन	mugunthan@rbi.org.in	020 – 2558 23 14 / 10

मधुमिता सरकार देब
प्रधानाचार्या